>> जांच शुरूआत नोटिस जारी होने के पश्चात

रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 5(2) के अंतर्गत यथानिर्धारित प्रारूप

रक्षोपाय अनुप्रयोगों पर महानिदेशक द्वारा जारी व्यापार नोटिस (एसजी/टीएन/1/97, दिनांक 06.09.1997)

रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 5(2) में रक्षोपाय जांच के लिए एक आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र में हो। महानिदेशक ने इस संबंध में एक व्यापार नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने रक्षोपाय जांच के लिए आवेदनपत्र में दी जाने वाली सूचना और उसके साथ उसके समर्थन में जमा किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज प्रदिष्ट किए हैं। नियमों के प्राधिकार के अंतर्गत जारी इस व्यापार नोटिस को विधि की शक्ति प्राप्त है। आवेदकों को इस व्यापार नोटिस में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है।

रक्षोपाय आवेदनों के संबंध में व्यापार नोटिस

1. व्यापार एवं उद्योग का ध्यान सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख उसके अंतर्गत बने सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसका इसके बाद रक्षोपाय नियमावली के रूप में उल्लेख किया गया है) की ओर आकृष्ट किया जाता है। रक्षोपाय नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति महानिदेशक (रक्षोपाय) के रूप में की है।

2. रक्षोपाय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण देश में आयात किए जाने वाले ऐसे किसी भी उत्पाद पर किया जा सकता है जिसका आयातित उत्पाद के उदगम के स्रोत पर ध्यान दिए बिना घरेलू उत्पादन के तुलनात्मक अथवा निरपेक्ष रूप से इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत आयात किया गया हो जिससे उसके समान अथवा सीधे प्रतिस्पर्धी

उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुंची हो अथवा गंभीर क्षति होने की संभावना उत्पन्न हो गई हो।

3. घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति की रोकथाम के लिए अथवा उसका हल निकालने के तत्काल आशय से रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण अल्प अवधि के लिए किया जा सकता है। तथापि, यह उपाय उद्योग से यह अपेक्षा भी करता है कि वह वर्धित आयातों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति के अनुसार अपने को समायोजित करेगा। किसी रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल तभी किया जा सकता है जब एक विधिवत जांच के उपरांत महानिदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी विशिष्ट उत्पाद/उत्पादों के वर्धित आयात उसके समान या उसके सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु के घरेलू उत्पादकों को गंभीर पहुंचा रहे हैं अथवा गंभीर क्षति की संभावना उत्पन्न कर रहे हैं।

4. रक्षोपाय जांच की शुरूआत करने के लिए आवेदन पत्र किसी भी व्यथित उत्पादक/ विनिर्माता, व्यापार प्रतिनिधि निकाय, फर्म या संस्थान, जो घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता हो, द्वारा दिया जा सकता है। यह आवेदन पत्र प्रारूप में होना चाहिए और इसमें इस व्यापार नोटिस के साथ अनुबंध में यथा-उल्लिखित सूचना शामिल होनी चाहिए, साथ ही उस सूचना के समर्थन में साक्ष्य/आंकड़े/संलग्नक दिए जाने चाहिए।

5. सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा किया जाना आवश्यक है :

(i) सूचना तीन वर्षों (अथवा उससे अधिक) की बिल्कुल हालिया अवधि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हों, के लिए दी जानी चाहिए।

(ii) जहां कहीं व्यवहार्य हो स्रोत दस्तावेज की प्रतियों के साथ सूचना के स्रोत का विवरण दिया जाना चाहिए।

(iii) दर्शाए गए कारण के संबंध में गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना को गोपनीय ही माना जाएगा। गोपनीय सूचना पृथक रूप से प्रदान कराई जानी चाहिए और उसे अगोपनीय सूचना के साथ मिलाकर प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। गोपनीय सूचना के प्रत्येक

पृष्ठ पर पृष्ठ के शीर्ष पर दाहिने ओर तथा तल पर दाहिने ओर स्पष्ट अक्षरों में "गोपनीय" शब्द मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रदान कराया जाना चाहिए। यदि गोपनीय सूचना को संक्षिप्तीकृत अथवा सामान्यीकृत प्रपत्र अथवा अगोपनीय आधार पर प्रदान नहीं कराया जा सकता है तो ऐसी सूचना की उपेक्षा कर दी जाएगी जब तक कि जांचकर्ता प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए सूचना के प्रदाता द्वारा सूचना के समुचित स्रोत से यह निरूपित नहीं कर दिया जाता है कि यह सूचना ठीक है।

(iv) आवेदक गण शुरूआत में आवेदन की दो प्रतियां प्रस्तुत करेंगे और उनके साथ उस आवेदन के समर्थन में सभी अनुलग्नक, आंकड़े और संलग्नक प्रस्तुत करेंगे। एक बार यह निश्चय हो जाने पर कि आवेदनपत्र के साथ में यथोचित रूप से दस्तावेज लगाए गए है और आवेदन पत्र सभी तरह से संपूर्ण है तो आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन (इच्छुक पक्षकारों की संख्या + सात) की प्रतियां प्रस्तुत करने तथा उसके साथ सभी अनुलग्नक एवं अनुबंध लगाने की अपेक्षा की जाती है।

(v) यदि यह पाया जाता है कि आवेदनपत्र अपूर्ण अथवा किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण है तो इसे आवेदक/आवेदकों को (इसकी एक प्रति अपने पास रखने के बाद) आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटा दिया जाएगा।

(vi) जो दस्तावेज स्पष्टत: पठनीय नहीं होंगे और/अथवा जो उन दस्तावेजों के प्रस्तुतकर्ता द्वारा अधिप्रमाणित नहीं होंगे उनकी अवहेलना कर दी जाएगी।

(vii) इस संबंध में नियमों के उपबंधों के अधीन, कारण दर्शाए जाने पर, जांच के किसी पक्षकार को इच्छुक पक्षकार के रूप में माना जाएगा।

(viii) जांच शुरूआत के नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर जांच के किसी पक्षकार को इच्छुक पक्षकार के रूप में शामिल करने के अनुरोध पर महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा विचार किया जाएगा और जांच शुरूआत नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के

अंदर इच्छुक पक्षकारों की सूची महानिदेशक द्वारा स्थापित की जाएगी, इसकी प्रति सभी इच्छुक पक्षकारों को प्रेषित की जाएगी।

(ix) सभी संगत सामग्रियों (अगोपनीय) से युक्त एक सार्वजनिक फाइल महानिदेशक (रक्षोपाय) के कार्यालय में सभी इच्छुक पक्षकारों के निरीक्षण के लिए रखी जाएगी।

(x) किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचना को उक्त पक्षकार द्वारा सुनवाई के 5 दिनों के अंदर अथवा महानिदेशक द्वारा अनुमति प्रदान की गई अवधि के अंदर लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इच्छुक पक्षकार इन प्रस्तुतिकरणों की प्रतियां महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा उल्लिखित दिन पर ले सकते हैं और महानिदेशक द्वारा अनुमति प्रदान की गई अवधि के अंदर उसका खंडन, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

(xi) महानिदेशक को किसी भी पक्षकार द्वारा दिए गए कोई भी साक्ष्य या अन्य किसी प्रस्तुतिकरण की पर्याप्त संख्या में प्रतियां (इच्छुक पक्षकारों की संख्या + सात) उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(xii) नोटिस की तारीख से 10 दिनों के लिए सभी नोटिस महानिदेशालय के बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिए जाने चाहिए |

(xiii) हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रदान कराई गई किसी भी सूचना का सूचना के प्रस्तुतकर्ता द्वारा उसके साथ ही अंग्रेजी में उसका अनुवाद प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर उस सूचना की उपेक्षा कर दी जाएगी।

(xiv) सभी सूचना/सामग्री 3½" (साढ़े तीन इंच) की फ्लापी में वर्ड या विंडो कम्पैटिएबल फार्मेट में भी उपलब्ध करानी चाहिए। सभी व्यापार एसोसिएशनों तथा चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं उद्योग से अनुरोध है कि वे इस व्यापार नोटिस की अंतर्वस्तु को अपने सदस्यों/संघटकों की जानकारी में लाएं।

व्यापार नोटिस का संलग्नक

रक्षोपाय जांच के लिए आवेदन में प्रदान की जाने वाली सूचना

विषय सूची

खंड 1 सामान्य सूचना

खंड 2 वह उत्पाद जिसके संबंध में आयात में वृद्धि देखी गई

खंड 3 वर्धित आयात

खंड 4 घरेलू उत्पादन

खंड 5 क्षति

खंड 6 क्षति का कारण

खंड 7 प्रस्तुतिकरण

खंड 8 अनुबंध (संलग्नक)

खंड 1: **सामान्य सूचना :** विषय सूची पर वापस जाएं

1. आवेदन की तारीख।

2. आवेदक (आवेदक/आवेदकों) का (के) नाम और पता (पते) प्रदान कराएं।
3. समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादक जिनकी ओर से यह आवेदन पत्र दिया गया। (उन सभी घरेलू उत्पादकों का विवरण प्रदान करें जिन्होंने इस आवेदन का समर्थन किया)।
4. समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उत्पादकों (उन घरेलू उत्पादकों के संबंध में जिन्होंने इस आवेदन का समर्थन किया है) के उत्तरदायी उत्पादन के संबंध में सूचना।
5. संबंधित उत्पाद के समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों (सभी उत्पादकों के संबंध में चाहें उन्होंने आवेदन का समर्थन किया हो या न किया हो) के कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में सूचना।

खंड 2 : वह उत्पाद जिसके संबंध में आयातों का अभिकथन किया गया : विषय सूची पर वापस जाएं

1. उत्पाद का नाम।
2. विवरण : उत्पाद का पूर्ण विवरण प्रदान करें जिसमें रासायनिक फार्मूला, ग्रेड संघटक सामग्री/घटक, संक्षेप में विनिर्माण प्रक्रिया, प्रयोग तथा विभिन्न ग्रेडों की विनिमयशीलता आदि शामिल हो।
3. प्रशुल्क वर्गीकरण : उत्पाद का एचएस वर्गीकरण के साथ-साथ 6/8/10 अंकीय स्तर पर भारतीय सीमाशुल्क प्रशुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत उत्पाद का वर्गीकरण प्रदान करें।
4. आयात शुल्क : विगत तीन वर्षों के दौरान उदग्रहण किए गए आयात शुल्क की दरों से संबंधित सूचना प्रदान करें। यदि उत्पाद को रियायती या अधिमानी उपचार प्राप्त है तो उसका विवरण दें।
5. उदगम का (के) देश : उस देश (उन देशों के) नाम प्रदान करें जहां यह उत्पाद उदभवित हुआ (यदि उदगम का देश निर्यात के देश से भिन्न है वहां उदगम के देश का नाम भी प्रदान कराया जाना चाहिए।

6. आयातित उत्पाद के सभी ज्ञात विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों की देशवार सूची प्रदान कराएं। इसके साथ ही संबंधित व्यापार एसोसिएशनों और प्रयोक्ता एसोसिएशनों के नाम और पते भी उपलब्ध कराएं।
7. बड़े औद्योगिक प्रयोक्ताओं, औद्योगिक प्रयोक्ता संगठनों और प्रयोक्ता एसोसिएशनों तथा प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों से संबंधित सूचना (यदि इस उत्पाद की सामान्यत: बिक्री खुदरा स्तर पर की जाती है)।
8. निर्यात कीमत : आयातित उत्पाद की निर्यातक/देशवार निर्यात कीमत तथा उसका आधार प्रदान कराएं (एफओबी/सीआईएफ कीमत प्रदान कराएं जिस पर उक्त वस्तु भारत में आई।

खंड 3 : वर्धित आयात : वापस विषय सूची पर जाएं

1. उक्त उत्पादों के आयातों से संबंधित पूर्ण एवं विस्तृत सूचना पिछले तीन वर्षों (या उससे अधिक) की मात्रा एवं मूल्य के रूप में प्रदान कराएं।
2. उपर्युक्त (1) का निरपेक्ष चरों में देशवार के साथ-साथ उक्त उत्पाद के कुल आयात के प्रतिशत के रूप में ब्यौरा उपलब्ध कराएं।
3. पिछले तीन वर्षों (अथवा उससे अधिक) के लिए मात्रा और मूल्य के सबंध में कुल घरेलू खपत में आयातित उत्पादों के हिस्से और समान उत्पाद अथवा सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उत्पाद के हिस्से से संबंधित विस्तृत एवं पूर्ण सूचना प्रदान करें।
4. उन घटकों के संबंध में सूचना प्रदान करें जिनका वर्धित आयातों में योगदान हो सकता है।

खंड 4 : घरेलू उत्पादन : वापस विषय सूची पर जाएं

1. घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित समान उत्पादों अथवा सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों का ब्यौरा। ऊपर उल्लिखित-II के अनुरूप सूचना प्रदान करें अर्थात
   i. नाम
   ii. विवरण
   iii. केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क दोनों के अंतर्गत प्रशुल्क वर्गीकरण

iv. घरेलू उत्पादकों का विवरण

2. सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों और संबंधित व्यापार एसोसिएशनों तथा प्रयोक्ता एसोसिएशनों आदि के नाम और पते।
3. उपर्युक्त 2 पर उल्लिखित प्रत्येक उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन का विवरण।
4. कुल घरेलू उत्पादन का ब्यौरा
5. संस्थापित क्षमता, क्षमता उपयोग और क्षमता उपयोग में गिरावट आदि।

खंड 5: क्षति अथवा क्षति की संभावना : **विषय सूची पर वापस जाएं**

1. वर्धित आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रभाव : इस आशय की विस्तृत सूचना दें कि किस तरह संवर्धित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा गंभीर क्षति की संभावना उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए :

i. बिक्री मात्रा, कुल घरेलू खपत और किस तरह घरेलू उत्पादन का बाजार हिस्सा प्रभावित हुआ है।
ii. मूल्यों में कमी/कीमतों में संकुचन/ कीमतों में वृद्धि की रोकथाम। उत्पादन लागत संबंधी सूचना और यह सूचना दिया जाना अपेक्षित है कि किस तरह वर्धित आयातों ने घरेलू उत्पादन की कीमतों को प्रभावित किया है।
iii. उद्योग की उत्पादन सुविधाओं में किसी तरह की महत्वपूर्ण कमी जिसमें संयंत्र बंद होने अथवा सामान्य उत्पादन क्षमता उपयोग में गिरावट को दर्शाने वाले आंकड़े शामिल हैं।
iv. रोजगार में कमी।
v. वित्तीय स्थिति : घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विवरण जिसमें बिक्री में कमी, बढ़ती मालसूची; उत्पादन, लाभ, उत्पादकता में अधोगामी प्रवृत्ति अथवा बढ़ती बेरोजगारी से संबंधित सूचना को शामिल किया जाए।

2. क्षति के अन्य कारक : उन अन्य घटकों का विस्तृत विवरण प्रदान करें जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में मदद कर रहे हों और इस आशय का एक स्पष्टीकरण दिया जाए कि इन अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए वर्धित आयातों द्वारा कारित क्षति को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। (डंपिंग अथवा सब्सिडीकरण के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो तो, से संबंधित सूचना का यहां विशेष रूप से उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है। कृपया यह भी उल्लेख करें कि क्या डंपिंग रोधी अथवा प्रतिकारी शुल्क जांच के लिए कोई आवेदन दायर किया गया है)।

खंड 6: क्षति का कारण :वापस विषय सूची पर जाएं

कृपया ऊपर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विश्लेषण प्रदान करें जिसमें वर्धित आयात, घरेलू उत्पादन के वास्तविक अथवा तुलनात्मक रूप में, और घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति अथवा क्षति की संभावना के बीच संबंध और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के अंतर्गत रक्षोपाय जांच की शुरूआत करने के लिए आधार का उल्लेख करें।

खंड 7: प्रस्तुतिकरण : वापस विषय सूची पर जाएं

1 . अनुरोध किए गए उपायों का विवरण प्रस्तुत करें :

I. अनुरोध किए गए रक्षोपाय शुल्क की प्रकृति और प्रमात्रा।
II. राहत की मांग करने का प्रयोजन और इससे उद्देश्य की प्राप्ति किस तरह होगी।
III. वह अवधि जिसके लिए रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध किया गया है और इसके लिए कारणों का उल्लेख करें।

2. यदि यह अनुरोध अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के लिए किया गया है तो महत्वपूर्ण परिस्थितियों की मौजूदगी के संबंध में पूर्ण एवं विस्तृत सूचना दें और यह बताएं कि विलंब करने से ऐसा कौन सा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना कठिन हो जाएगा।

3. यदि रक्षोपाय उपायों को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिरोपित करने का अनुरोध किया जाता है तो आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे अथवा किए जाने की योजना के प्रयासों अथवा दोनों के लिए किए जा रहे प्रयासों के विवरण के साथ उद्योग के उपयुक्त प्रगामी उदारीकरण हेतु सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए का विवरण भी शामिल हो।

खंड 8: अनुबंध : विषय सूची पर वापस जाएं

इसकी समस्त समर्थनकारी सूचना इस आवेदन पत्र के अनुबंध के रूप में दी जा सकती है (मुख्य सूचना उपयुक्त स्थानों पर दी जानी चाहिए। इस सूचना का विस्तृत विवरण अनुबंध के रूप में दिया जाना चाहिए)।